



टांक  
जिला कलेक्टर

अपीलान्त के अधिमाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अधिमाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवाहित मिस खसरा नम्बर 21 में से रकबा 0.02 है 0 किस्म बूज वकें ग्राम कोटही तहसील अलीगढ में राजकीय मिस पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर

विद्यमान अधिमाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनियम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्त को सैनवाड़े का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने किस्सी भी राजकीय मिस पर अतिक्रमण कर दृकान का निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त का उक्त आराजी से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है। अपीलान्त द्वारा मोक पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्त अपीलान्त स्वीकार कर अधिनियम न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रिजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेंट जस्टिस समन की जाकर अधिनियम न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अधिमाषक अपीलान्त एवं राजकीय अधिमाषक की बहस संपनी गई।

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधिनियम न्यायालय नाथब तहसीलद्वारा सीप ने अपने निर्णय दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अपीलान्त को राजकीय मिस खसरा नम्बर 21 में से रकबा 0.02 है 0 किस्म बूज वकें ग्राम कोटही तहसील अलीगढ में राजकीय मिस पर दृकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए मिस से बेदखल करनी, 200/रू. पनली कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने नाथब तहसीलद्वारा सीप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

उपस्थिति : (1) श्री रोमेश गुर्जर, अधिमाषक अपीलान्त  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अधिमाषक रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत द्वारा 75 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नाथब तहसीलद्वारा सीप दिनांक 13.01.2026 मिसल नम्बर 517/2026

-रेस्पोंडेंट

नाथब तहसीलद्वारा सीप जिला टांक राज.

बनाम

-अपीलान्त

अर्जुन पुत्र जगदीश जाट निवासी सेदही मालियान तहसील अलीगढ जिला टांक राज.

24.02.2026

19/2026

प्रतिदि दिनांक

प्रकरण संख्या

(टीना डाबी, आई०ए०५०५१० द्वारा अध्यासित)

न्यायालय जिला कलेक्टर, टांक



का  
 निदेशक, स्वास्थ्य  
 (जी. वी.)  
 १०

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

खारिज किया जाता है।

तदखीलदार सीप का निर्णय दिनांक 13.01.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्वामन फलतः अपील अपीलान्त अर्जीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नाथ

निर्णय में इस्तिलाफ किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित है। अपीलान्त मॉसि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मॉसि पर 31.10.2025 से मॉसि से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी अतिक्रमण किया था, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 581/2025 निर्णय दिनांक पटवारी इल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व से भी उक्त मॉसि पर तदखील अलीगढ पर पत्रावली अतिक्रमण कर हुकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जो द्वारा मॉसि खसरा नम्बर 21 से रकबा 0.02 है 0 किस्म बंज वाकें ग्राम कोटडी रव्य की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अपीलान्त न्यायालय द्वारा नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नॉटिस पर अपीलान्त की न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त की अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं

की जावे।

आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मॉसि पर बार-बार अतिक्रमण करने का मॉसि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त मॉसि पर तामील हुई है। अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अपीलान्त ने पूर्व से भी उक्त की विधिवत नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत पुनर्ती कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त हुकान बनाकर अतिक्रमण करने पर नाथ तदखीलदार सीप द्वारा मॉसि से बेदखल करने